

Conduct of election Rules.1961
(Statutory Rules and Order)

FORM - 21 C

(See. rule 64)

Declaration of the Result of Election under section 66 of the Representation of the
People Act. 1951

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan From **84- SAPOTRA**
(S.T.) Assembly Constituency

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation
of the People act. 1951 read with rule 64 of the conduct of Election Rules,1961, I
declare that :-

Shri Ramesh Chand Meena (Name)

House No. 52 Village – Naya gaon , Post- Ranipura , TEHSIL Mandrayal
DISTRICT Karauli (Address)

Sponsored by Indian National Congress

(Name of recognised/registered political party) has been duly elected to fill
the seat in that house from the above constituency

Place : GOVERNMENT COLLAGE KARAU LI

Date : 11/12/2018



(TARAMATI VAISHNAVA)

Returning Officer

ASSEMBLY CONSTIUENCY 084 SAPOTRA

SUB DIVISIONAL OFFICER & SUB DIVISIONAL MAGISTRATE, SAPOTRA

रिटर्निंग अधिकारी
निर्वाचन क्षेत्र सपोटरा-84 (अ०ज०जा०)
(सब-डिविजनल अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट)

प्रारूप 21-ग

(नियम 64 देखिये)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

84- सपोटरा (अ0ज0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान की विधान सभा के लिये निर्वाचन ।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करती हूँ कि :-

श्री रमेश चन्द मीना

मकान नं0 52 ग्राम- नया गांव ,पोस्ट रानीपुरा, तहसील मण्डरायल जिला करौली

जो इंडियन नेशनल काँग्रेस (मान्यता प्राप्त /रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किये गये ।

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिये सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गये है ।

स्थान :राजकीय महाविद्यालय करौली

दिनांक : 11/12/2018

(तारामती बैष्णव)

रिटर्निंग अधिकारी

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र सपोटरा 84 (अ.ज.जा.)
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट सपोटरा

रिटर्निंग अधिकारी

निर्वाचन क्षेत्र सपोटरा-84 (अ0ज0जा0)

(उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट)